

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	
22/1/24	<p>कार्यवाही तबदीलात दिनांक 22/1/24 को पेश है।</p> <p>पहुलाए 34-1 तर तालेज को आदेशिका दि. 19/10/23 कीपालना मे जारी पत्र की अनुपालना में पेशोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर भुगत करायो डि आदेशिका दि. 19/10/23 के क्रम में तहमीलदार तालेज दाए अन्तर्गत धारा 175 R.A. के तहत न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमें आगामी पेशी 29/1/24 निमत है पेशोकार सरकार के जवाब के क्रम में बहस हेतु पत्रावली दिनांक 29/1/24 को पेश हो।</p>
29/1/24	<p>पहुलाए 34-1 पेशोकार सरकार के जवाब के क्रम में बहस हेतु अपील-चाहा नाम पर पत्रावली वाकत बहस तर रिपोर्ट दि. 20/8/24 को पेश हो।</p>
20/8/24	<p>पहुलाए 34-1 पेशोकार सरकार के जवाब के क्रम में बहस हेतु अपील-चाहा नाम पर पत्रावली वाकत बहस तर रिपोर्ट दिनांक 29/8/24 को पेश हो।</p>
29/8/24	<p>पहुलाए 34-1 बहस तर रिपोर्ट सुनी गई। रिपोर्ट तर अनुसार वाद वर्णित आगामी पर अन्तर्गत धारा 175 R.A. के क्रम में प्रकरण जारी है। ऐसी स्थिति में वादी दाए उधी भूमि पर आगामी निषेधाज्ञा प/5 188 R.A. के प्रावधान के तहत जमाना वाद में किसी प्रकार का अनुलोष प्रदान किया जाना न्यायोचित मनीत नहीं होता है। वाद को जारी रखे जाने पर विरोध आगामी निर्णय पारित होना भी संभावित है। अतः वाद को इसी स्वरूप पक्षकार को इस अनुमति के साथ ही प्रकरण अन्तर्गत धारा 175 R.A. के निस्तान पश्चात अनुलोष पुनः प्राप्त प्रस्तुत करने पर इसी तलेज</p>

सं. 10/24

प्र.सं. / दावा / प्र.पत्र /

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज

से पुनः चलाये जाने की अनुमति देसाय स्थगित
किया जाता है। फावली केसल सुमाए होकर नम्बर
से कम है। काद तामील तदमील निशमानुसार
दाखिल रफ्तार हो। ह.मि.३